प्रेस नोट

थाना साइबर क्राइम हमीरपुर **दिनांक 27.09.2024**

थाना साइबर क्राइम जनपद हमीरपुर की टीम द्वारा अस्पताल खुलवाने व बच्ची का इलाज करवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रूपये 05 लाख 73 हजार 04 सौ सत्तर जमा कराने में संलिप्त साइबर अपराधी को किया गया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत घटित घटनाओं के त्वरित अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपदीय साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम द्वारा साइबर थाना हमीरपुर पर वादी मुन्नालाल निषाद पुत्र स्व0 रामचरन निवासी टोलाखगांरन थाना चिकासी जनपद हमीरपुर से प्राप्त तहरीर के आधार पर पंजीकृत अभियोग अ0सं0 28/2024 धारा 319(2)/318(4) व 66 आईटी एक्ट का तथा वादी वीरेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी कस्बा व थाना चिकासी जनपद हमीरपुर से प्राप्त तहरीर के आधार पर पंजीकृत अभियोग अ0सं0 29/2024 धारा 319(2)/318(4) व 66 आईटी एक्ट का सफल अनावरण करते हुये संकलित साक्ष्य के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त रमेश राजपूत उर्फ अनिल पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम सिकरोधा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर हाल पता दातागढी सिकन्दरपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर को बस स्टैण्ड, थाना कोतवाली नगर, जनपद हमीरपर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया ।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के क्रम में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह चायनीज कीपैड मोबाइल का उपयोग कर पुरुष, महिला व बच्ची की आवाज में बात कर लोगों को डाक्टर, नर्श व बीमार बच्ची बताकर अपने जाल में फंसाता था । इसी क्रम में वादी वीरेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी कस्बा व थाना चिकासी जनपद हमीरपुर से अस्पताल खुलवाने का लालच देकर रूपया 1,13,470/- रुपये (एक लाख तेरह हजार चार सौ सत्तर रुपये) की धनराशि का फ्राड किया गया तथा वादी मुन्नालाल निषाद पुत्र स्व0 रामचरन निवासी टोलाखगांरन थाना चिकासी जनपद हमीरपुर से 4,60,000/- रुपये (चार लाख साठ हजार रुपये) का फ्राड किया गया ।

अभियुक्त का विवरणः-

1.रमेश राजपूत उर्फ अनिल पुत्र करन सिंह (उम्र करीब 34 वर्ष) निवासी ग्राम सिकरोधा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर (हाल पता दातागढी सिकन्दरपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर)

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त वीवो एण्ड्रायड मोबाइल फोन- 01 अदद

2. घटना में प्रयुक्त PEACE कम्पनी कीपैड मोबाइल फोन- 02 अदद

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 28/24 धारा 319(2)/318(4) व 66 आईटी एक्ट साइबर क्राइम थाना जनपद हमीरपुर।
2. मु0अ0सं0 29/24 धारा 319(2)/318(4) व 66 आईटी एक्ट साइबर क्राइम थाना जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी करने वाली थाना साइबर क्राइम पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह	2. उ0नि0 विजय सिंह
3. मु0 आ0 कमलकान्त यादव	4. आ0 चन्द्रभवन दिवाकर
5. आ0 राजदीप सिंह	6. आ0 राहुल कुमार
7. म0 आ0 आरती यादव	